

ववाह-वचिछेद अधनियिम, 1869 की धारा 10ए

प्रलिमिस के लयि:

मौलकि अधकिर, धरमनरिपेकषता, मानवाधकिरों की सार्वभौमकि घोषणा

मेन्स के लयि:

समान ववाह संहति का महत्त्व, न्यायकि उपचार का अधकिर ।

चर्चा में क्यों?

ववाह-वचिछेद अधनियिम, 1869 की धारा 10ए के तहत आपसी सहमतसे तलाक की याचकिा दायर करने के लयि एक वर्ष या उससे अधकि की अवधि की शर्त [मौलकि अधकिरों](#) का उल्लंघन करती है और केरल उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानकि बताया है ।

- केरल उच्च न्यायालय ने **केंद्र सरकार** को सुझाव दिया कि ववाह संबंधी ववादों में पति-पत्नी के **सामान्य कल्याण** और **भलाई** को बढ़ावा देने के लयि भारत में एक **समान ववाह संहति** होनी चाहयि ।

न्यायलय ने ववाह-वचिछेद अधनियिम, 1869 की धारा 10ए को क्यों रद्द कयिा?

- समान परसिथितयिों में अलग-अलग समुदायों के साथ अलग-अलग व्यवहार के रूप में धारा 10ए भेदभावपूरण है ।
- भले ही वधायकिा का उद्देश्य अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, यह उन व्यक्तयिों के हतिों की प्रभावी ढंग से रक्षा कयि बनिा उनकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है जनिके न्याय मांगने संबंधी अधकिर खतरे में हैं ।
- वैधानकि प्रावधानों द्वारा प्रभावति कयि गए [न्यायकि उपचार का अधकिर](#) [मौलकि अधकिरों](#) का उल्लंघन है ।
 - न्यायकि उपचार जीवन के अधकिर के अंतर्गत आता है ।

ववाह-वचिछेद अधनियिम, 1869 की धारा 10ए का स्रोत:

- एक वर्ष की अवधि के नरिधारण संबंधी जानकारी [वशिष ववाह अधनियिम](#) की धारा 28(1), [हदू ववाह अधनियिम](#) की धारा 13बी (1) और [पारसी ववाह और ववाह-वचिछेद अधनियिम](#) की धारा 32बी (1) में मलिती है ।
- पहले भारतीय ववाह-वचिछेद अधनियिम की धारा 10ए में तलाक के आवेदन के लयि 2 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि अनविरय थी ।
- [2010](#) व अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने ही कहा कि धारा 10ए के तहत 2 वर्ष की न्यूनतम अनविरय अवधि एकपक्षीय और दमनकारी है अतः इसे एक वर्ष की अवधि के रूप में ही माना जाना चाहयि ।
- [मानव अधकिरों की सार्वभौम घोषणा](#) के अनुच्छेद 8 में यह घोषणा की गई है कि **संवधान** अथवा **कानून** द्वारा प्रदत्त **मौलकि अधकिरों** का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लयि **सकषम राष्ट्रीय न्यायाधकिरणों** द्वारा सभी के लयि **प्रभावी उपचार** का अधकिर है ।

मानव अधकिरों की सार्वभौम घोषणा:

- मानव अधकिरों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) मानव अधकिरों के इतहास में एक मील का पत्थर है ।
- दसिंबर 1948 में पेरसि में मानवाधकिर दविस के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई ।
- प्रत्येक वर्ष 10 दसिंबर को **दुनिया भर में मानवाधकिर दविस** मनाया जाता है ।
- यह पहली बार मौलकि मानवाधकिरों को सार्वभौमकि रूप से संरक्षति करने के लयि नरिधारति करता है ।
- प्रत्येक व्यक्त इस घोषणा में नरिधारति सभी **अधकिरों और स्वतंत्रताओं का बनिा कसिी प्रकार के भेदभाव (जैसे जाति, रंग, लयि, भाषा, धरम, राजनीतकि या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजकि मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य सथति)** के हकदार है ।
- सभी मनुष्य गरमिा और अधकिरों के संदर्भ में स्वतंत्र एवं समान पैदा होते हैं । वे तर्क और वविक से संपन्न हैं तथा उन्हें **भाईचारे की भावना** से एक

दूसरे के प्रतिकार्य करना चाहिये ।

नषिकरष:

- तलाक के संदर्भ में आवेदन करने के लिये **अनवार्य एक वर्ष की अवधि** के पीछे मूल उद्देश्य मूल रूप से जोड़ों को एक-दूसरे और वभिन्न पारिवारिक संस्कृति को समझने के लिये उचित समय प्रदान करना है । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वैवाहिक मामले में यह दृष्टिकोण एक ही परणाम के साथ काम करता है इसलिये वषिकृत वैवाहिक संबंधों से छुटकारा पाने के लिये कुछ अन्य उपचारात्मक उपाय होने चाहिये ।
- केरल उच्च न्यायालय मूल रूप से उन जोड़ों के गरमिपूर्ण जीवन के अधिकार को संरक्षति करने का प्रयास कर रहा है जो अपने ववाहति जीवन में गंभीर कठनाइयों का सामना कर रहे हैं ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/section-10a-of-the-divorce-act-1869>

